प0 सं0–14/डी0एल0ए0 (बी0आर0बी0सी0एल0)–औरंगाबाद–219/12– 137 /रा0,पटना–15, दिनांक–15/01/2013

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
भू–अर्जन निदेशालय
बिहार, पटना

अधिघोषणा

तारीखः– 2012

सं0.. आर0

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि गॉव–**घंटा, थाना–104,** परगना–**कुटुम्बा,** थाना–**नवीनगर**, जिला– **औरंगाबाद** में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात **नवीनगर थर्मल पावर परियोजना (बी0आर0बी0सी0एल0)** के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गॉव **घंटा** के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम–वेश जो **0.0425** एकड़ के बराबर होता है और जिसकी अधिकृत खेसरा सं0 एव चौहद्दी निम्न प्रकार हैः–

अधिकृत खेसरा सं0– **अंश**– 57

उत्तरः–	खेसरा सं0 56
दक्षिणः–	खेसरा सं0 ग्राम सिवाना सिमरी
पूरबः–	खेसरा सं0 58
पश्चिमः–	खेसरा सं0 ग्राम सिवाना गम्हरिया

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो ले लिए जायेंगें, यह घोषणा अधिनियम 1,1894 की धारा 6 और अधिनियम 18,1894 को धारा 3 के खण्ड (1) के उपबंधो के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बंध हो।

भूमि का नक्शा भू–अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

8/12
समाहर्त्ता
औरंगाबाद।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

कृ0पृ0उ0